



**सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं.1696/Type Approval No.1696**

**मद/For Item: लैंप एसएम 37 (28वी -1.4 डब्ल्यू) / Lamp SM-37 (28V-1.4W)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स जे.एस.लैंप इंडस्ट्रीज़, प्लॉट सं.32, वार्ड सं.9, पंजाब नैशनल बैंक के सामने, पुराना फरीदाबाद - 121 002 द्वारा अभिकल्पित विकसित एवं उत्पादित "लैंप" एसएम-37 (28वी-1.4डब्ल्यू) को आरेखन सं. टीएस/आईएनडी/72/02 इश्यू-4, दिनांक 25/04/2002, पृष्ठ सं.13 पर एसएमकै-37 के स्केच, इश्यू-1 के अनुसार रशियन फ्लीट वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए(नाशिक) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं. टीएस/आईएनडी/72/02 इश्यू-4, दिनांक 25/04/2002 और टेस्ट रिपोर्ट सं. डीटी/टीटी/04/आईएनडीजी/344, दिनांक 23/02/1995 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह उत्पाद परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित विनिर्देश/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Lamp" SM-37 (28V-1.4W) designed, developed & manufactured by M/s. J. S. Lamp Industries., Plot No. 32, Ward No. 9, Opp. Punjab National Bank, Old Faridabad - 121 002, is hereby approved for production as per drawing No. TS/IND/72/02 Issue - 4 Dt: 25/04/2002, Sketch of SM -37 Issue-1 on Page No. 13 for use on Russian fleet aircraft. The product has been tested in co-ordination with RCMA (Nashik) as per Test Schedule No. TS/IND/72/02 Issue - 4, dt: 25/04/2002 and Test Report No. DT/TT/04/INDG/344, dt: 23/02/1995. The product has met the requirements of the specification/tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*



2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी सुपरसीड होती है। इस उत्पाद के निर्माण के लिए अपनायी गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। ऊपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिये।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन **31 दिसम्बर 2016** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन प्रतिसूचना को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर सी एम ए (नाशिक)**, द्वारा एचएएल नाशिक प्रभाग, ओझार टाउनशिप, नाशिक - 422 207 के माध्यम से सेमिलेक से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2016 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA (Nashik), C/o HAL Nashik Division, Ojhar Township, Nashik-422 207 for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक)**, बेंगलूरुकी पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes if any to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.*

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए निश्चित रूप से दर्शायी गई विधियों के अनुसरण और डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं पर आधारित है।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1696

दिनांक/Date : 30 Nov 2011

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

  
(पी एस देशमुख/P. S. DESHMUKH)  
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Offg.Chief Executive (Airworthiness)

  
29 Nov 11